

अब दो लाख ईवी को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट का प्रस्ताव

इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी

महेंद्र तिवारी

लखनऊ। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे दो लाख वाहनों पर रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क में छूट देने की तैयारी है। यह लाभ सिर्फ यूपी में बने वाले वाहनों को ही मिलेगा। इसके अलावा निजी इलेक्ट्रिक वाहन पार्कों को निजी औद्योगिक पार्कों के समान सुविधाएं देने की तैयारी है।

सूत्रों के अनुसार भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े निवेश की संभावना है। इसके भूदानेवर इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 में कई अहम बदलाव की योजना है। हाल ही एक उच्च स्तरीय बैठक में इस नीति में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा कर सहमति दी गई थी। इसे कैबिनेट की सहमति लेकर लघु किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक, मौजूदा नीति में एक लाख इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क में छूट देने की व्यवस्था है। वहीं नए प्रस्ताव के मुताबिक यह छूट प्रदेश में निर्मित दो लाख वाहनों को मिलेगी।

पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में चलने वाले सिर्फ ई-रिक्शा : इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बढ़ाने के लिए नगर विकास विभाग पांच

यूपी में ईवी निर्माण को प्रोत्साहन के लिए यहां बने वाहनों पर भी बड़ी छूट



सभी पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव

सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। सार्वजनिक चार्जिंग अवसरान्त के विकास के लिए 'रेवेन्यू सेयरिंग फॉर्मिडा' स्तुत होगा। यह व्यवस्था किसी कंपनी विशेष के लिए न होकर सभी सार्वजनिक उपकरणों के लिए होगी। रेवेन्यू सेयरिंग की व्यवस्था भूमि को लीज दिए जाने के लिए होगी। परिवहन विभाग ई-रिक्शा के लिए वर्कमन रेगुलेटरी व्यवस्था की समीक्षा करेगा। विभाग सुपरसिमल तरीके से ई-रिक्शा को बढ़ावा देने से जुड़े कदम उठाएगा।

लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में समयसमय तय कर सिर्फ ई-रिक्शा का संचालन सुनिश्चित करेगा। इसके लिए मौजूदा समय में

मानव चालित रिक्शा, डीजल/पेट्रोल चालित रिक्शा को ई-रिक्शा में बदलने के लिए मुद्रा योजना आदि के अंतर्गत आर्थिक मदद दिलाया जाएगा।

निवेशकों को एसजीएसटी आधारित प्रोत्साहन की जगह पूंजीगत उत्पादन इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति में संशोधन के जरिए निवेशकों को एसजीएसटी आधारित प्रोत्साहनों के स्थान पर तीन तरह के प्रोत्साहन लाभ देने का प्रस्ताव है। पहला, पूंजीगत प्रोत्साहन (निवेश व उत्पादन आधारित), दूसरा- भूमि खरीद पर प्रोत्साहन और तीसरा- अल्ट्रा मेगा बैट्री प्लांट की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन। इसी तरह औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 से इसे अलग करने, अनुसंधान व विकास उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना में सहायता की भी योजना है। परिवहन व निर्यात प्रोत्साहन उत्पादन, निजी मेगा एंकर इकाइयों व एंकर इकाइयों की परिभाषा को पुनित संगत बनाने का भी विचार है।



www.kubota.co.in

जुड़े तेजी से वि